## विक्रय पूर्व सूचना पत्र

FINANCE Saath Appke... Harmesha

Ref. No.: 5751145 Pre.

Date: 16-Feb-23

46

बनाम:- (Borrower)

SUKHRAM JI C/O CHHATARIYA

HPUSE NO 286, JHAGADIYA FALIYA GRAM

NAYABILAWA, NAYABILWA, KHARGONE MP451441 342 MAIN

ROAD Khargone Khargone Madhya Pradesh 451441

बनाम:- Borrower :- SUKHRAM JI C/O CHHATARIYA

HPUSE NO 286, JHAGADIYA FALIYA GRAM NAYABILAWA, NAYABILWA, KHARGONE MP451441

342 MAIN ROAD

Khargone Khargone Madhya Pradesh 451441

Co-Borrower-1: CHATRIYA JI C/O JHAGDIYA

NEW BILVA, DHULKOT, KHARGONE DHULKOT, MP451441 342 MAIN ROAD Khargone Khargone Madhya Pradesh 451441

Co-Borrower-2: NIL

GTR - 1: NAKU JI C/O RAMLAL

HOUSE NO 287, JHAGADIYA FALIYA, GRAM NAYABILAWA, NAYABILWA, DHULKOT KHARGONE MP451441 342

MAIN ROAD Khargone Khargone Madhya Pradesh 451441

महोदय,

प्रार्थी एसके फाइनेंस लि. (पूर्व नाम ऐस. के. फिनकोर्प लि.) रजिस्टर्ड कार्यालय जी–1, जी–2 न्यू मार्केट खासा कोठी सर्किल जयपुर की ओर से आपको उक्त सुचना पत्र प्रेषित किया जाता है:—

 यह कि प्रार्थी एक गैर बैिकंग वित्तीय कम्पनी है जो कम्पनी अधिनियम 1956 के तहत कार्य करती है, जिसका मुख्य कार्य अपने ग्राहकों को वित्तीय सुविधा प्रदान करना है।

• यह कि निम्नवर्णित ऋण अनुबन्ध के सम्बन्ध में आप कंमाक संख्या 1 SUKHRAM JI C/O CHHATARIYA बतौर ऋणी तथा आप कंमाक संख्या 2 CHATRIYA JI C/O JHAGDIYA, एवं NIL बतौर सहऋणी है एवमं आप कंमाक संख्या 3 NAKU JI C/O RAMLAL गारण्टर है के द्वारा ऋण अनुबन्ध की समस्त शर्तों की पूर्ण पालना बाबत कम संख्या 1 एवमं 2 की ओर से स्वयं की प्रतिभृति दी गयी है ।

• यह कि आपके द्वारा ऋण अनुबन्ध संख्या 5751145 दिनांक 10-Jun-22 को निष्पादित कर प्रार्थी कम्पनी से 310000 /-रूपयें की ऋण राशि अपने वाहन BOLERO PICK UP\_MM\_COMM\_VEH जिसका रिजस्ट्रेशन नम्बर MP06GA0806 इंजन नम्बर GGA1E33371 एवं चेसिस नम्बर A1E37193 है, पर प्राप्त की गयी है । यह की अनुबन्ध की सहमत नियम व शर्तीनुसार उक्त ऋण की अदायगी आपके द्वारा 11680/- रूपयें की 36 नियीमत मासिक / स्ट्रक्चर्ड किस्तों मे की जानी थी ।

- यह कि जब तक ऋण अनुबन्ध की सम्पूर्ण शर्तों की पालना नहीं हो जाती, उक्त वाहन को आपके आधिपत्य में रखते हुए, आपको प्रार्थी कम्पनी के निर्देशानुसार निरीक्षण हेतु उपलब्ध कराना था। यह कि निष्पादित ऋण अनुबन्ध की शर्तों के तहत उक्त वाहन ,प्रार्थी कम्पनी के हक में हाईपोथिकेटेड है एवं उक्त वाहन पर प्रथम चार्ज प्रार्थी कम्पनी में निहित है। निष्पादित ऋण अनुबन्ध में स्पष्ट रूप से तय पाया गया था कि ऋण अनुबन्ध की शर्तोनुसार अदायगी में चूक हो जाने या ऋण अनुबन्ध की किसी भी शर्त की पालना में चूक हो जाने पर प्रश्नगत वाहन के सम्बन्ध में आपके समस्त अधिकार समाप्त हो जायेगे एवं आप प्रश्नगत वाहन को प्रार्थी कम्पनी को लौटाने के लिये उत्तरदायी हो जायेगें एवं प्रार्थी कम्पनी को प्रश्नगत वाहन आधिपत्य में लेकर अनुबन्ध की शर्तोनुसार विक्रय करने का अधिकार प्राप्त होगा।
- यह कि आपके द्वारा प्रश्नगत वाहन पर वित्तीय सुविधा प्राप्त करने के पश्चात एवं ऋण सुविधा का उपयोग करते रहने के बाबजूद समय पर अनुबन्ध की शर्तों की पालना नहीं की व निष्पादित ऋण अनुबन्ध की शर्तों नुसार किश्तों की अदायगी में चूक कारित करना प्रारम्भ कर दिया। प्रार्थी द्वारा आपसे बकाया राशि की अदायगी का तकाजा करने पर आप ऋण राशि की अदायगी से गुरेज करने लगें व अनुबन्ध के अन्तर्गत परिणामों से बचने के लिये टालम टोल करने लगें तथा अनुबन्ध की शर्तों को भंग कर दिया। अतः निष्पादित ऋण अनुबन्ध की शर्तों के तहत आपका प्रश्नगत वाहन पर आधिपत्य बनाये रखने का अधिकार समाप्त हो गया।
- यह कि उक्त वाहन वर्तमान में आपके आधिपत्य में नही रहा है एवं उक्त वाहन को निष्पादित ऋण अनुबन्ध की शर्तोनुसार./स्वेच्छा से/ मोटर वाहन अधिनियम एवं नियमों की रूह मे दिनांक 14-Feb-23 को अपने अधिपत्य में लिया गया । इस कारण आपका खाता अनुबंध की शर्तोनुसार फोरक्लोज होना है व आपके जिम्मे बकाया सम्पूर्ण फोर क्लोजर की राशि 336766/— रूपये प्रार्थी कम्पनी आपसे प्राप्त करने की अधिकारिणी है।

लिहाजा आपको उक्त सूचना—पत्र प्रेषित कर सूचित किया जाता है कि आप नोटिस दिनांक से 7 दिवस के भीतर प्रार्थी कम्पनी को अपने जिम्में की बकाया फोर क्लोजर राशि 336766/- व निष्पादित ऋण अनुबन्ध की शर्तोनुसार अन्य देय राशि (वाहन को आधिपत्य में लिये जाने के सम्पूर्ण खर्चे सिहत) प्रार्थी कम्पनी के कार्यालय में जमा कराकर रसीद प्राप्त कर लें अन्यथा प्रार्थी कम्पनी द्वारा प्रश्नगत वाहन ''जहाँ है जैसी है स्थिति में' (As on where Basis) के आधार पर बेचान करने के सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही की जावेगी। अतः सूचित रहे।

भवदीय अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता एसके फाइनेंस लि. (पूर्व नाम ऐस. के. फिनकोर्प लि.) (जी–1 एवं जी–2, न्यू मार्केट खासा, कोठी सर्किल जयपुर। 302001)

## विक्रय पूर्व सूचना पत्र

Ref. No.: 5751145 Pre.

Date: 16-Feb-23

बनाम:- (Co-Borrower)

CHATRIYA II C/O IHAGDIYA

NEW BILVA, DHULKOT, KHARGONE DHULKOT, MP451441 342 MAIN ROAD Khargone Khargone Madhya Pradesh 451441

बनामः- Borrower :-SUKHRAM JI C/O CHHATARIYA

HPUSE NO 286, JHAGADIYA FALIYA GRAM NAYABILAWA, NAYABILWA, KHARGONE MP451441

342 MAIN ROAD

**Khargone Khargone Madhya Pradesh 451441** 

Co-Borrower-1: CHATRIYA JI C/O JHAGDIYA

NEW BILVA, DHULKOT, KHARGONE DHULKOT, MP451441 342 MAIN ROAD Khargone Khargone Madhya Pradesh 451441

Co-Borrower-2: NIL

GTR - 1: NAKU JI C/O RAMLAL

HOUSE NO 287, JHAGADIYA FALIYA, GRAM NAYABILAWA, NAYABILWA, DHULKOT KHARGONE MP451441 342

MAIN ROAD Khargone Khargone Madhya Pradesh 451441

महोदय,

प्रार्थी एसके फाइनेंस लि. (पूर्व नाम ऐस. के. फिनकोर्प लि.) रजिस्टर्ड कार्यालय जी–1, जी–2 न्यू मार्केट खासा कोठी सर्किल जयपुर की ओर से आपको उक्त सुचना पत्र प्रेषित किया जाता है:--

यह कि प्रार्थी एक गैर बैकिंग वित्तीय कम्पनी है जो कम्पनी अधिनियम 1956 के तहत कार्य करती है, जिसका मुख्य कार्य अपने ग्राहकों को वित्तीय सुविधा प्रदान करना है।

यह कि निम्नवर्णित ऋण अनुबन्ध के सम्बन्ध में आप कंमाक संख्या 1 SUKHRAM JI C/O CHHATARIYA बतौर ऋणी तथा आप कंमाक संख्या 2 CHATRIYA JI C/O JHAGDIYA , एवं NIL बतौर सहऋणी है एवमं आप कंमाक संख्या 3 NAKU JI C/O RAMLAL गारण्टर है के द्वारा ऋण अनुबन्ध की समस्त शर्तों की पूर्ण पालना बाबत कम संख्या 1 एवमं 2 की ओर से स्वयं की प्रतिभूति दी गयी है ।

- यह कि आपके द्वारा ऋण अनुबन्ध संख्या 5751145 दिनांक 10-Jun-22 को निष्पादित कर प्रार्थी कम्पनी से 310000 /-रूपयें की ऋण राशि अपने वाहन BOLERO PICK UP\_MM\_COMM\_VEH जिसका रजिस्ट्रेशन नम्बर MP06GA0806 इंजन नम्बर GGA1E33371 एवं चेसिस नम्बर A1E37193 है, पर प्राप्त की गयी हैं । यह की अनुबन्ध की सहमत नियम व शर्तानुसार उक्त ऋण की अदायगी आपके द्वारा 11680/- रूपयें की 36 नियीमत मासिक / स्ट्रक्चर्ड किस्तों मे की जानी थी ।
- यह कि जब तक ऋण अनुबन्ध की सम्पूर्ण शर्तो की पालना नही हो जाती, उक्त वाहन को आपके आधिपत्य में रखते हुए, आपको प्रार्थी कम्पनी के निर्देशानुसार निरीक्षण हेतु उपलब्ध कराना था। यह कि निष्पादित ऋण अनुबन्ध की शर्तो के तहत उक्त वाहन ,प्रार्थी कम्पनी के हक में हाईपोथिकेटेड है एवं उक्त वाहन पर प्रथम चार्ज प्रार्थी कम्पनी में निहित है। निष्पादित ऋण अनुबन्ध में स्पष्ट रूप से तय पाया गया था कि ऋण अनुबन्ध की शर्तोनुसार अदायगी में चुक हो जाने या ऋण अनुबन्ध की किसी भी शर्त की पालना में चुक हो जाने पर प्रश्नगत वाहन के सम्बन्ध में आपके समस्त अधिकार समाप्त हो जायेंगे एवं आप प्रश्नगत वाहन को प्रार्थी कम्पनी को लौटाने के लिये उत्तरदायी हो जायेगें एवं प्रार्थी कम्पनी को प्रश्नगत वाहन आधिपत्य में लेकर अनुबन्ध की शर्तोनुसार विक्रय करने का अधिकार प्राप्त होगा।
- यह कि आपके द्वारा प्रश्नेगत वाहन पर वित्तीय सुविधा प्राप्त करने के पश्चात एवं ऋण सुविधा का उपयोग करते रहने के बाबजूद समय पर अनुबन्ध की शर्तो की पालना नही की व निष्पादित ऋण अनुबन्ध की शर्तोनुसार किश्तों की अदायगी में चूक कारित करना प्रारम्भ कर दिया। प्रार्थी द्वारा आपसे बकाया राशि की अदायगी का तकाजा करने पर आप ऋण राशि की अदायगी से गुरेज करने लगें वें अनुबन्ध के अन्तर्गत परिणामों से बचने के लिये टालम टोल करने लगें तथा अनुबन्ध की शर्तो को भंग कर दिया। अतः निष्पादित ऋण अनुबन्ध की शर्तो के तहत आपका प्रश्नगत वाहन पर आधिपत्य बनाये रखने का अधिकार समाप्त हो गया।
- यह कि उक्त वाहन वर्तमान में आपके आधिपत्य में नही रहा है एवं उक्त वाहन को निष्पादित ऋण अनुबन्ध की शर्तानुसार /स्वेच्छा से/ मोटर वाहन अधिनियम एवं नियमों की रूह मे दिनांक 14-Feb-23 को अपने अधिपत्य में लिया गया । इस कारण आपका खाता अनुबंध की शर्तीनुसार फोरक्लोज होना है व आपके जिम्मे बकाया सम्पूर्ण फोर क्लोजर की राशि 336766/ – रूपये प्रार्थी कम्पनी आपसे प्राप्त करने की अधिकारिणी है।

लिहाजा आपको उक्त सूचना-पत्र प्रेषित कर सूचित किया जाता है कि आप नोटिस दिनांक से 7 दिवस के भीतर प्रार्थी कम्पनी को अपने जिम्में की बकाया फोर क्लोजर राशि 336766/- व निष्पादित ऋण अनुबन्ध की शर्तीनुसार अन्य देय राशि (वाहन को आधिपत्य में लिये जाने के सम्पूर्ण खर्चे सहित) प्रार्थी कम्पनी के कार्यालय में जमा कराकर रसीद प्राप्त कर लें अन्यथा प्रार्थी कम्पनी द्वारा प्रश्नगत वाहन "जहाँ है जैसी है स्थिति में" (As on where Basis) के आधार पर बेचान करने के सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही की जावेगी। अतः सूचित रहे।

> भवदीय अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता एसके फाइनेंस लि. (पूर्व नाम ऐस. के. फिनकोर्प लि.) (जी–1 एवं जी–2, न्यू मार्केट खासा, कोठी सर्किल जयपुर। 302001)

## विक्य पूर्व सूचना पत्र

FINANCE Saath Aapke... Hameshe

Ref. No.: 5751145 Pre.

**Date: 16-Feb-23** 

2

बनाम:- (GTR)
\* R M 5 6 9 7 7 7 0 6 7 1 N \*

NAKU JI C/O RAMLAL

HOUSE NO 287, JHAGADIYA FALIYA, GRAM NAYABILAWA, NAYABILWA, DHULKOT KHARGONE MP451441 342 MAIN ROAD Khargone Khargone Madhya Pradesh 451441

बनाम:- Borrower:- SUKHRAM JI C/O CHHATARIYA

HPUSE NO 286,JHAGADIYA FALIYA GRAM NAYABILAWA,NAYABILWA,KHARGONE MP451441

342 MAIN ROAD

Khargone Khargone Madhya Pradesh 451441

Co-Borrower-1: CHATRIYA JI C/O JHAGDIYA

NEW BILVA,DHULKOT,KHARGONE DHULKOT,MP451441 342 MAIN ROAD Khargone Khargone Madhya Pradesh 451441

Co-Borrower-2: NIL

GTR - 1: NAKU JI C/O RAMLAL

HOUSE NO 287, JHAGADIYA FALIYA, GRAM NAYABILAWA, NAYABILWA, DHULKOT KHARGONE MP451441 342

MAIN ROAD Khargone Khargone Madhya Pradesh 451441

महोदय,

प्रार्थी एसके फाइनेंस लि. (पूर्व नाम ऐस. के. फिनकोर्प लि.) रजिस्टर्ड कार्यालय जी–1, जी–2 न्यू मार्केट खासा कोठी सर्किल जयपुर की ओर से आपको उक्त सुचना पत्र प्रेषित किया जाता है:—

 यह िक प्रार्थी एक गैर बैिकंग वित्तीय कम्पनी है जो कम्पनी अधिनियम 1956 के तहत कार्य करती है, जिसका मुख्य कार्य अपने ग्राहकों को वित्तीय सुविधा प्रदान करना है।

• यह कि निम्नवर्णित ऋण अनुबन्ध के सम्बन्ध में आप कंमाक संख्या 1 SUKHRAM JI C/O CHHATARIYA बतौर ऋणी तथा आप कंमाक संख्या 2 CHATRIYA JI C/O JHAGDIYA, एवं NIL बतौर सहऋणी है एवमं आप कंमाक संख्या 3 NAKU JI C/O RAMLAL गारण्टर है के द्वारा ऋण अनुबन्ध की समस्त शर्तों की पूर्ण पालना बाबत कम संख्या 1 एवमं 2 की ओर से स्वयं की प्रतिभृति दी गयी है ।

• यह कि आपके द्वारा ऋण अनुबन्ध संख्या 5751145 दिनांक 10-Jun-22 को निष्पादित कर प्रार्थी कम्पनी से 310000 /-रूपयें की ऋण राशि अपने वाहन BOLERO PICK UP\_MM\_COMM\_VEH जिसका रिजस्ट्रेशन नम्बर MP06GA0806 इंजन नम्बर GGA1E33371 एवं चेसिस नम्बर A1E37193 है, पर प्राप्त की गयी है । यह की अनुबन्ध की सहमत नियम व शर्तीनुसार उक्त ऋण की अदायगी आपके द्वारा 11680/- रूपयें की 36 नियीमत मासिक / स्ट्रक्चर्ड किस्तों मे की जानी थी ।

- यह कि जब तक ऋण अनुबन्ध की सम्पूर्ण शर्तों की पालना नहीं हो जाती, उक्त वाहन को आपके आधिपत्य में रखते हुए, आपको प्रार्थी कम्पनी के निर्देशानुसार निरीक्षण हेतु उपलब्ध कराना था। यह कि निष्पादित ऋण अनुबन्ध की शर्तों के तहत उक्त वाहन ,प्रार्थी कम्पनी के हक में हाईपोथिकेटेड है एवं उक्त वाहन पर प्रथम चार्ज प्रार्थी कम्पनी में निहित है। निष्पादित ऋण अनुबन्ध में स्पष्ट रूप से तय पाया गया था कि ऋण अनुबन्ध की शर्तोनुसार अदायगी में चूक हो जाने या ऋण अनुबन्ध की किसी भी शर्त की पालना में चूक हो जाने पर प्रश्नगत वाहन के सम्बन्ध में आपके समस्त अधिकार समाप्त हो जायेगे एवं आप प्रश्नगत वाहन को प्रार्थी कम्पनी को लौटाने के लिये उत्तरदायी हो जायेगें एवं प्रार्थी कम्पनी को प्रश्नगत वाहन आधिपत्य में लेकर अनुबन्ध की शर्तोनुसार विक्रय करने का अधिकार प्राप्त होगा।
- यह कि आपके द्वारा प्रश्नगत वाहन पर वित्तीय सुविधा प्राप्त करने के पश्चात एवं ऋण सुविधा का उपयोग करते रहने के बाबजूद समय पर अनुबन्ध की शर्तों की पालना नहीं की व निष्पादित ऋण अनुबन्ध की शर्तों नुसार किश्तों की अदायगी में चूक कारित करना प्रारम्भ कर दिया। प्रार्थी द्वारा आपसे बकाया राशि की अदायगी का तकाजा करने पर आप ऋण राशि की अदायगी से गुरेज करने लगें व अनुबन्ध के अन्तर्गत परिणामों से बचने के लिये टालम टोल करने लगें तथा अनुबन्ध की शर्तों को भंग कर दिया। अतः निष्पादित ऋण अनुबन्ध की शर्तों के तहत आपका प्रश्नगत वाहन पर आधिपत्य बनाये रखने का अधिकार समाप्त हो गया।
- यह कि उक्त वाहन वर्तमान में आपके आधिपत्य में नही रहा है एवं उक्त वाहन को निष्पादित ऋण अनुबन्ध की शर्तोनुसार./स्वेच्छा से/ मोटर वाहन अधिनियम एवं नियमों की रूह मे दिनांक 14-Feb-23 को अपने अधिपत्य में लिया गया । इस कारण आपका खाता अनुबंध की शर्तोनुसार फोरक्लोज होना है व आपके जिम्मे बकाया सम्पूर्ण फोर क्लोजर की राशि 336766/— रूपये प्रार्थी कम्पनी आपसे प्राप्त करने की अधिकारिणी है।

लिहाजा आपको उक्त सूचना—पत्र प्रेषित कर सूचित किया जाता है कि आप नोटिस दिनांक से 7 दिवस के भीतर प्रार्थी कम्पनी को अपने जिम्में की बकाया फोर क्लोजर राशि 336766/- व निष्पादित ऋण अनुबन्ध की शर्तोनुसार अन्य देय राशि (वाहन को आधिपत्य में लिये जाने के सम्पूर्ण खर्चे सिहत) प्रार्थी कम्पनी के कार्यालय में जमा कराकर रसीद प्राप्त कर लें अन्यथा प्रार्थी कम्पनी द्वारा प्रश्नगत वाहन ''जहाँ है जैसी है स्थिति में' (As on where Basis) के आधार पर बेचान करने के सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही की जावेगी। अतः सूचित रहे।

भवदीय अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता एसके फाइनेंस लि. (पूर्व नाम ऐस. के. फिनकोर्प लि.) (जी–1 एवं जी–2, न्यू मार्केट खासा, कोठी सर्किल जयपुर। 302001)